नई दिल्ली जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से

राष्ट्रीय स्तरीय शोध - पत्र प्रस्तुति प्रतियोगिता

National Level Paper Presentation Competition

(माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी)

प्रत्येक भाषा माध्यम वर्ग में पुरस्कार व्यवस्था : प्रथम पुरस्कार रुपए 5000/- एवं संस्थागत पुरस्कार रनिंग ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार रुपए 3000/-, तृतीय पुरस्कार 2000/- एवं रुपए 1000/- के पांच विशेष पुरस्कार

विषय

" राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए साइबर अपराध: उपाय एवं रोकथाम "

"Cyber Crime against Women in Delhi Challenges and Safety Measures"

शोध - पत्र प्रस्तुति प्रतियोगिता स्थलः सेमिनार हॉल, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली (6 मार्च, 2020)
पुरस्कार समारोह स्थल : सेमिनार हॉल, कन्वेंशन सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली (7 मार्च, 2020)

आयोजक

भागीदारी जन सहयोग समिति (पंजीकृत)
ह्यूमन फाउंडेशन (पंजीकृत)

सहभागिता : साहित्य संचय शोध संवाद फाउंडेशन (पंजीकृत)

अवधारणा

यूँ तो साइबर अपराध कई प्रकार से समाज को दूषित व बाधित कर रहे हैं, जो समाज को गिरा रहे हैं। उन्नति के बढ़ते कदम कब अवनति की ओर हो गए, आभास ही नहीं हुआ और कब साइबर का ज्ञान अपराध का माध्यम बन गया। साइबर अपराध कई प्रकार से किए जाते है जैसे स्पैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी की निजी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नज़र बनाए रखना। अपराधों का बाजार भी हर पल गरम हो रहा है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी हैरान और परेशान कर देने वाला है। जुर्म के नए आंकड़े आज राजधानी में महिला स्थिति को चिंताजनक बता रहे हैं। ये विषय राजनीति के लिए नहीं बल्कि नई रणनीति के लिए है। इस विषय के अंतर्गत दिल्ली की महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करना होगा कि महिलाएँ किस प्रकार इन अपराधों से बच सकती हैं। अपराधी की मानसिकता को समझकर वह कैसे प्रतिकूल स्थिति का सामना कर सुरक्षित ज़ोन में रह सकती हैं। साइबर अपराध का विवरण करने हेतु संकल्पना, प्रकृति, व्यापकता विशेषताएँ, जागरुकता एवं विविध रुपों में वगीकरण का अध्ययन करना ही हमारा ध्येय है।

शोध पत्र को तैयार करते समय निम्नलिखित उप - विषय को सम्मिलित करें :-

- साइबर बुलिंग एवं इससे बचाव
- साइबर हैकिंग
- सामाजिक नेटवर्क साइटों पर अफवाह
- सोशल नेटवर्किंग साइट और साइबर क्राइम
- पोर्नोग्राफ़ी
- साइबर स्टॉकिंग
- साइबर अपराध की रोकथाम में सफलता की कहानी
- दिल्ली में साइबर अपराध: वर्तमान परिदृश्य में
- अन्य साइबर अपराधों से बचाव
- दिल्ली में साइबर अपराध का आँकड़ा
- इज़राइल की तकनीक, योगदान और प्रयास
- विषय से संबंधित अन्य विमर्श

संपर्क :
मोबाईल न०: 8851546238
ईमेल– nationalconferenceiwd932019@gmail.com
विजय गौड़ महासचिव भागीदारी जन सहयोग समिति
वाट्सएप न० : 9650065373

f प ' य

आपको यह जानकर खुशी होगी कि अंतराष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर नई दिल्ली जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के सौजन्य से तथा भागीदारी जन सहयोग समिति (पंजीकृत), ह्यूमन फाउंडेशन (पंजीकृत) एवं साहित्य संचय शोध संवाद फाउंडेशन (पंजीकृत) के संयुक्त तत्वावधान में 6 मार्च, 2020 को राजधानी दिल्ली के सेमिनार हॉल, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तरीय शोध पत्र प्रस्तुति प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विषय '' राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ़ बढ़ते हुए साइबर अपराध: उपाय एवं रोकथाम''
प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण सेमिनार हॉल, कन्वेंशन सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली में भारत के उच्चतम न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति श्रीमति इंदिरा बनर्जी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा।

उक्त विषय शोध पत्र आमंत्रित हैं। इस संदर्भ में कृपया निम्न जानकारी का अवलोकन करें :

1. शोध पत्र 26 फरवरी, 2020 तक
   ईमेल- nationalconferenceiwd932019@gmail.com पर भेजने आवश्यक हैं।
2. मौलिक शोध पत्र की अधितम शब्द संख्या 1800-2000 शब्द।
3. भाषा का माध्यम हिन्दी एवं अंग्रेज़ी होगा।
4. शोध पत्र कृतिदेव 010, मंगल वाकमेन चाणक्य 901-95, यूनिकोड अथवा टाइम्स न्यू रोमन में वर्ड फाइल में भेज सकते हैं। (पी.डी.एफ. फाइल एवं स्कैन स्वीकार नहीं की जाएगी।)
5. चयन किए गए शोध पत्र **ISBN** अंकित पुस्तक में शामिल किए जाएँगे।
6. सभी श्रेष्ठ शोध पत्रों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा तथा श्रेष्ठ आठ शोध पत्रों को पुरस्कृत किया जाएगा।
7. पंजीकरण शुल्क शोध पत्र स्वीकृत होने के बाद 26 फरवरी से 29 फरवरी, 2020 तक जमा करना होगा, इस के लिए यथासमय बैंक विवरण भेज दिया जायेगा।
8. पंजीकरण शुल्क - प्राध्यापक : रुपये 1000/-, शोधार्थी : रुपये 700/-
9. प्रशस्ति पत्र केवल कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले प्रतिभागियों को ही दिए जाएँगे।
10. शोध पत्र के अंत में अपना पूरा नाम, घर एवं कॉलेज/विश्वविद्यालय का पूरा पता एवं पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर, वाट्सएप मोबाइल नंबर एवं ईमेल पता अवश्य लिखें अन्यथा इसके अभाव में शोध पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
11. शोध पत्र में दिए गए तथ्यों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी होगा। शोध पत्र को किसी भी रुप में प्रयोग करने का अधिकार आयोजन समिति को होगा।